न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्याः–03 / 2024 दायरा दिनांक 23.01.2022

पीठासीन अधिकारी :–श्री जबर सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

1. पुष्पदयाल पुत्र किशनलाल जाति काछी निवासी दीगोदपार तहसील किशनगंज जिला बारॉ (राज.)
2. रामलखन पुत्र किशनलाल जाति काछी निवासी दीगोदपार तहसील किशनगंज जिला बारॉ (राज.)
3. अनिताबाई पुत्री किशनलाल जाति काछी निवासी दीगोदपार तहसील किशनगंज जिला बारॉ (राज.)
4. बजरंगीबाई पुत्री किशनलाल जाति काछी निवासी दीगोदपार तहसील किशनगंज जिला बारॉ (राज.)
5. रामप्यारी पुत्री किशनलाल जाति काछी निवासी दीगोदपार तहसील किशनगंज जिला बारॉ (राज.)
6. भूलाबाई बेवा किशनलाल जाति काछी निवासी दीगोदपार तहसील किशनगंज जिला बारॉ (राज.)

–अपीलान्टगण

–: बनाम :–

1. संजू पत्नि शंकरलाल जाति काछी निवासी दीगोदपार तहसील किशनगंज जिला बारां (राज.)
2. भूलीबाई पुत्री किशनलाल जाति काछी निवासी दीगोदपार तहसील किशनगंन जिला बारां **(मृतक)**

2 / 1–राधेश्याम पुत्र भूलाबाई जाति काछी निवासी दीगोदपार तहसील किशनगंन जिला बारां

2 / 2–महावीर पुत्र भूलाबाई जाति काछी निवासी दीगोदपार तहसील किशनगंन जिला बारां

2 / 3–रामवीर पुत्र भूलाबाई जाति काछी निवासी दीगोदपार तहसील किशनगंन जिला बारां

2 / 4–रामसिंह पुत्र भूलाबाई जाति काछी निवासी दीगोदपार तहसील किशनगंन जिला बारां (राज.)

3. मांगीबाई पुत्री किशनलाल जाति काछी निवासी दीगोदपार तहसील किशनगंज जिला बारां (राज.)
4. चेतन पुत्र रामचन्दीबाई पिता हरगोविन्द जाति काछी निवासी मोयदा तहसील किशनगंज जिला बारां
5. रघुवीर पुत्र रामचन्दीबाई पिता हरगोविन्द जाति काछी निवासी मोयदा तहसील किशनगंज जिला बारां
6. सुखवीर पुत्र रामचन्दीबाई पिता हरगोविन्द जाति काछी निवासी मोयदा तहसील किशनगंज जिला बारां
7. संजूबाई पुत्री रामचन्दीबाई पिता हरगोविन्द जाति काछी निवासी मोयदा तहसील किशनगंज जिला बारां
8. मुजूबाई पुत्री रामचन्दीबाई पिता हरगोविन्द जाति काछी निवासी मोयदा तहसील किशनगंज जिला बारां
9. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज जिला बारां (राज.)

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित :–

श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा :– वकील, अपीलान्टगण।
श्री रामकिशन नागर :– वकील रेस्पोडेण्टगण।

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 1487 दिनांक 13.11.2009 ग्राम दीगोदपार तहसील किशनगंज

निर्णय दिनांक 29.09.2025

अपीलान्ट द्वारा यह अपील बनाराजगी नामान्तरकरण संख्या 1487 दिनांक 13.11.2009 ग्राम दीगोदपार को निरस्त करने बाबत् इस आशय की प्रस्तुत की है कि तहसीलदार, किशनगंज के द्वारा प्रमाणित किया गया नामान्तरकरण विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। सरिस्ता रिपोर्ट ली जा कर उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से अपील प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकार्ड एवं रेस्पोडेन्टगण की तलबी की गई।

संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि ग्राम दीगोदपार पटवार हल्का दीगोदपार तहसील किशनगंज के तस्दीक किये गये इन्तकाल नम्बर 1487 दिनांक 13.11.2009 को अपील में आगे विवादित इन्तकाल के नाम से सम्बोधित किया गया हैं।

यह कि ग्राम दीगोदपार पटवार हल्का दीगोदपार तहसील किशनगंज के तस्दीक किये गये इन्तकाल नम्बर 1487 दिनांक 13.11.2009 में मृतक किशनलाल के पारिवारिक सजरे में किशनलाल के मृत पुत्र रामदयाल की वारिस के रूप में रेस्पोडेन्ट कम 1 संजूबाई को रामदयाल की उत्तराधिकारी बेवा के रूप में अवैधानिक रूप से जोड दिया गया हैं। मूल खातेदार किशनलाल के फौत होने के पश्चात् अपीलान्टगण एवं अन्य रेस्पोडेन्टगण मृतक की आराजी बराबर बराबर पारिवारिक श्रेणी एंव हिस्सानुसार धारण करने के अधिकारी हैं।

यह कि विवादित आराजी के सहखातेदार नाबालिक रामदयाल पुत्र किशनलाल का 16 वर्ष की उम्र में दिनांक 11.09.2007 को लाऔलाद देहान्त हो चुका हैं। जिसकी 13 वर्ष की उम्र में रेस्पोडेन्ट कम 1 संजूबाई के साथ शादी हुई थी किन्तु रेस्पोडेन्ट कम 1 संजूबाई रामदयाल से गोना होने से पूर्व ही रामदयाल के जीवनकाल में ही सीताराम काछी निवासी सिलोर तहसील बून्दी जिला बून्दी राज. से नाता विवाह करके ग्राम सिलोर तहसील बून्दी जिला बून्दी राज. चली गई। सीताराम एंव संजूबाई के नुफते से सिलोर में संजूबाई ने 2 पुत्रियां एवं 1 पुत्र को जन्म दिया। तत्पश्चात् दो वर्ष पूर्व रेस्पोडेन्ट कम 1 संजूबाई सीताराम काछी निवासी सिलोर को भी छोडकर शंकरलाल काछी निवासी दीगोदपार के यहॉ पर पुनः नाता विवाह करके ग्राम दीगोदपार में रहने लगी। शंकरलाल एवं संजूबाई के नुफते से बच्चा पैदा होने वाला हैं। रामदयाल के जीवनकाल में ही रेस्पोडेन्ट कम 1 संजूबाई द्वारा सीताराम काछी निवासी सिलोर तहसील बून्दी जिला बून्दी राज. से नाता विवाह करके ग्राम सिलोर तहसील बून्दी जिला बून्दी राज. चले जाने के कारण रेस्पोडेन्ट कम 1 संजूबाई के मृतक रामदयाल को उत्तराधिकार में प्राप्त सभी सम्पत्तियों में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत अधिकार समाप्त हो गये हैं। किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के मान्य विधिक प्रावधानों की अवहेलना करते हुए द्वारा अपीलान्टगणों एवं शेष रेस्पोडेन्टगणों को नोटिस दिये बिना, सुनवाई का मौंका दिये बिना रेस्पोडेन्ट कम 1 संजूबाई का नाम अवैधानिक रूप से राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत एवं सॉठगॉठ करके फर्जी तरीके से षडयन्त्र पूर्वक अपीलान्टगणों एवं रेस्पोडेन्टगणों के हिस्से की सम्पूर्ण विवादित आराजी पर पारिवारिक सजरे में जोड दिया गया। जबकि अपीलान्टगण एवं शेष रेस्पोडेन्टगण मृतक की आराजी बराबर बराबर पारिवारिक श्रेणी अनुसार, हिस्सानुसार धारण करने के अधिकारी हैं। अस्तु अपीलान्टगण अवैधानिक रूप से तस्दीक किये गये विवादित इन्तकाल नम्बर 1487 दिनांक 13.11.2009 में से रेस्पोडेन्ट कम 1 संजूबाई का नाम निरस्त करवा पाने की अधिकारणी हैं।

यह कि विवादित इन्तकाल नम्बर 1487 दिनांक 13.11.2009 अधिनस्त न्यायालय द्वारा अपीलान्टगणों एवं रेस्पोडेन्डगणों को नोटिस दिये बिना, सुनवाई का मौका दिये बिना अपीलान्टगणों के विरूद्व अवैधानिक रूप से तस्दीक किया गया हैं, जो अपीलान्टगणों एवं शेष रेस्पोडेन्डगणों के हितो को नुकसान पहुंचाने की गरज से रेस्पोडेन्ट कम 1 एवं राजस्व कर्मचारियों की मिली भगत से तस्दीक किया गया हैं। जिससे न्याय के मान्य विधिक प्रावधानों का हनन हुआ हैं एवं अपीलान्टगणों एवं शेष रेस्पाउेन्टगणों के काश्तकारी हक हकूको पर भारी विपरित प्रभाव पडा हैं। जिससे अपीलान्टगण एवं शेष रेस्पोउेन्टगण अपने पूर्वज के खातेदारी की

आराजी प्राप्त करने से महरूम हो गये हैं। अस्तु अपीलान्टगण अवैधानिक रूप से तस्दीक किये गये विवादित इन्तकाल नम्बर 1487 दिनांक 13.11.2009 में से रेस्पोडेन्ट कम 1 संजूबाई का नाम निरस्त करवा पाने की अधिकारणी हैं।

यह कि अपीलान्टगण दिनांक 03.03.2023 को अपनें खातेदारी की नकल लेनें हेतु हल्का पटवारी के पास गई तो हल्का पटवारी द्वारा विवादित इन्तकाल के बारे में जानकारी देनें पर नकल इन्तकाल दिनांक 08.03.2023 को प्राप्त होने बाद में राजस्व कर्मचारियों के हडताल पर चले जाने से अपील मियाद प्रस्तुत हैं।

विद्वान वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्टगण ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया की ग्राम दीगोदपार पटवार हल्का दीगोदपार तहसील किशनगंज के तस्दीक किये गये इन्तकाल नम्बर 1487 दिनांक 13.11.2009 में मृतक किशनलाल के पारिवारिक सजरे में किशनलाल के मृत पुत्र रामदयाल की वारिस के रूप में रेस्पोडेन्ट कम 1 संजूबाई को रामदयाल की उत्तराधिकारी बेवा के रूप में अवैधानिक रूप से जोड दिया गया हैं। मूल खातेदार किशनलाल के फौत होने के पश्चात् अपीलान्टगण एवं अन्य रेस्पोडेन्टगण मृतक की आराजी बराबर बराबर पारिवारिक श्रेणी एंव हिस्सानुसार धारण करने के अधिकारी हैं। विवादित आराजी के सहखातेदार नाबालिक रामदयाल पुत्र किशनलाल का 16 वर्ष की उम्र में दिनांक 11.09.2007 को लाऔलाद देहान्त हो चुका हैं। जिसकी 13 वर्ष की उम्र में रेस्पोडेन्ट कम 1 संजूबाई के साथ शादी हुई थी किन्तु रेस्पोडेन्ट कम 1 संजूबाई रामदयाल से गोना होने से पूर्व ही रामदयाल के जीवनकाल में ही सीताराम काछी निवासी सिलोर तहसील बून्दी जिला बून्दी राज. से नाता विवाह करके ग्राम सिलोर तहसील बून्दी जिला बून्दी राज. चली गई। सीताराम एंव संजूबाई के नुफते से सिलोर में संजूबाई ने 2 पुत्रियां एवं 1 पुत्र को जन्म दिया। तत्पश्चात् दो वर्ष पूर्व रेस्पोडेन्ट कम 1 संजूबाई सीताराम काछी निवासी सिलोर को भी छोडकर शंकरलाल काछी निवासी दीगोदपार के यहॉ पर पुनः नाता विवाह करके ग्राम दीगोदपार में रहने लगी। शंकरलाल एवं संजूबाई के नुफते से बच्चा पैदा होने वाला हैं। रामदयाल के जीवनकाल में ही रेस्पोडेन्ट कम 1 संजूबाई द्वारा सीताराम काछी निवासी सिलोर तहसील बून्दी जिला बून्दी राज. से नाता विवाह करके ग्राम सिलोर तहसील बून्दी जिला बून्दी राज. चले जाने के कारण रेस्पोडेन्ट कम 1 संजूबाई के मृतक रामदयाल को उत्तराधिकार में प्राप्त सभी सम्पत्तियों में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत अधिकार समाप्त हो गये हैं। अतः अपीलाधीन नामान्तरकरण उपरोक्त वर्णित आधार पर अवैध विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्टगण ने कथन किया कि खोला गया नामान्तरकरण नियमानुसार सही खोला गया हैं। अतः अपील अपीलान्टगण खारिज फरवाई जावें।

हमने विद्वान वकील अपीलान्ट के कथनों पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का भी अवलोकन किया। विद्वान वकील अपीलान्ट ने कथन किया की ग्राम दीगोदपार तहसील किशनगंज के इन्तकाल नम्बर 1487 दिनांक 13.11.2009 में मृतक किशनलाल के मृत पुत्र रामदयाल की उत्तराधिकारी बेवा के रूप में रेस्पोडेन्ट कम 1 संजूबाई को अवैधानिक रूप से जोड दिया गया हैं। मूल खातेदार किशनलाल के फौत होने के पश्चात् अपीलान्टगण एवं अन्य रेस्पोडेन्टगण मृतक की आराजी बराबर बराबर पारिवारिक श्रेणी एंव हिस्सानुसार धारण करने के अधिकारी हैं। विवादित आराजी के सहखातेदार नाबालिक रामदयाल पुत्र किशनलाल का 16 वर्ष की उम्र में दिनांक 11.09.2007 को लाऔलाद देहान्त हो चुका हैं। जिसकी 13 वर्ष की उम्र में रेस्पोडेन्ट कम 1 संजूबाई के साथ शादी हुई थी किन्तु रेस्पोडेन्ट कम 1 संजूबाई रामदयाल से गोना होने से पूर्व ही रामदयाल के जीवनकाल में ही सीताराम काछी निवासी सिलोर तहसील बून्दी जिला बून्दी राज. से नाता विवाह करके ग्राम सिलोर तहसील बून्दी जिला बून्दी राज. चली गई। सीताराम एंव संजूबाई के नुफते से सिलोर में संजूबाई ने 2 पुत्रियां एवं 1 पुत्र को जन्म दिया। तत्पश्चात् दो वर्ष पूर्व रेस्पोडेन्ट कम 1 संजूबाई सीताराम काछी निवासी सिलोर को भी छोडकर शंकरलाल काछी निवासी

[illegible] के साथ पर पुनः [illegible] विवाह करके ग्राम डोंगरगांव में रहने लगी। [illegible] एवं संजूबाई के पुत्री के उत्पन्न पैदा होने बताया है। [illegible] के जीवनकाल में ही रेस्पोडेन्ट क्रमांक 1 संजूबाई द्वारा [illegible] निवासी [illegible] तहसील बूंदी जिला बूंदी राज. से [illegible] विवाह करके ग्राम [illegible] तहसील बूंदी जिला बूंदी राज. चले जाने के कारण रेस्पोडेन्ट क्रमांक 1 संजूबाई के [illegible] को उत्तराधिकार के [illegible] हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत अधिकार समाप्त हो गये हैं।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील [illegible] स्वीकार की जाकर ग्राम डोंगरगांव का नामान्तरण [illegible] दिनांक 12.11.[illegible] निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार [illegible] को इस निर्देश के साथ [illegible] किया जाता है कि [illegible] के वारिसों की जांच कर नियमानुसार नामान्तरण की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार [illegible] को भेजी जावे। [illegible] तहसील [illegible] उद्घोषित [illegible] है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

[illegible]

[illegible] (राज.)